"चतुर्थ बैठक का कार्यवाही विवरण"

Office of the M. P. Pollution Control Board, BHOPAL
No. 46
Dt. 9/1/02

531

मध्य प्रदेश शासन
श्रम विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 27-39/2000/16-व भोपाल, दिनांक 04/01/2002.

प्रति,

प्रमुख सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (मंत्रालय) भोपाल ।

2/- सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
परिवहन विभाग (मंत्रालय) भोपाल ।

3/- आयुक्त एवं पदेन सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (मंत्रालय) भोपाल.

4/- कार्यपालन निदेशक,
आपदा प्रबंध संस्थान, एवं पदेन सचिव,
आवास एवं पर्यावरण विभाग (मंत्रालय) भोपाल ।

5/- अध्यक्ष,
डायमंड सीमेंट, दमोह (म0प्र0) ।

6/- महानिरीक्षक,
पुलिस अग्निशमन सेवाएं, इन्दौर.

7/- प्रभारी संचालक,
औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा,
म0प्र0 इन्दौर ।

DR Saxena

8/- सचिव,
मध्य प्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल,
भोपाल ।

See it & discuss

Sce/CE(T)/CE(P)SE(E)SE(W)/SE(C)
CSO/SSO H/smd/SSO(PR)SSC (Cess)
SSO (Sct,/FO/SO/Estt)/SO (Acct,)
SO(Bud)/SO/(GAD)/ALO.
Secretary 10/1

9/- सहायक पुलिस महानिरीक्षक,
पुलिस मुख्यालय (पुलिस महानिदेशक की ओर से)
भोपाल ।

10/- मुख्य सुरक्षा एवं पर्यावरण अधिकारी,
बी0एच0ई0एल0 (कार्यपालन निदेशक, बी0एच0ई0एल0 की ओर से),
[illegible], भोपाल.

निरंतर 2/......

10/01/02

11/- प्लांट मैनेजर,
इंडियन आॅइल कार्पोरेशन,
बॉटलिंग प्लांट, भोपाल (प्लांट के महाप्रबंधक की ओर से),
भोपाल।

12/- श्रमायुक्त,
मध्यप्रदेश इन्दौर।

विषय:- राज्य संकट स्थित समूह की चतुर्थ बैठक दिनांक 27/11/01।

--x--

राज्य संकट स्थित समूह की चतुर्थ बैठक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 27/11/2001 को सम्पन्न हुई थी, का कार्रवाई-विवरण आवश्यक कार्रवाईहेतु संलग्न है।

(पी०एस०खैरवार)
अवर-सचिव,
मध्य प्रदेश शासन, श्रम विभाग

पृ०क्रं० एफ 27-39/2000/16-ब भोपाल, दिनांक 04/1/02.

प्रतिलिपि:-

1/- मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर की ओर सूचनार्थ।

अवर-सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग

SCG 533

मध्यप्रदेश शासन
श्रम विभाग

विषय :- राज्य संकट स्थिति समूह की चतुर्थ बैठक दिनांक 27-11-2001

का

कार्रवाई-विवरण

राज्य संकट स्थिति समूह की चतुर्थ बैठक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 27-11-2001 को मंत्रालय, भोपाल, में संपन्न हुई । बैठक में उपस्थित सदस्यों, उनके प्रतिनिधियों व विशेष आमंत्रितों की सूची परिशिष्ट के रूप में संलग्न है ।

2/ समूह की पिछली (तृतीय) बैठक दिनांक 10-9-99 को हुई थी । चूंकि यह (चतुर्थ) बैठक दो वर्ष से अधिक के अंतराल के बाद हो रही थी और अनेक सदस्य इसमें पहली बार भाग ले रहे थे, अतः प्रमुख सचिव, श्रम, ने मुख्य सचिव की अनुमति लेकर, सर्वप्रथम इस समूह के गठन की पृष्ठभूमि और उसके कृत्यों पर प्रकाश डाला । उन्होंने बताया कि :-

(i) वर्ष 1987 के पूर्व खतरनाक संक्रिया (dangerous operations) संचालित करने वाले कारखानों में स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कारखाना अधिनियम, 1948, की धारा 87, तथा म.प्र.कारखाना नियम, 1962, के नियम 107 में विशेष प्रावधान किए गए थे । वर्ष 1987 में कारखाना अधिनियम, 1948, में धारा 2 (सी बी) जोड़कर "परिसंकटमय प्रक्रिया (hazardous process)" को परिभाषित करते हुए तत्संबंधी अनुसूची-1 भी जोड़ी गई, और ऐसी प्रक्रियाएं अपनाने वाले कारखानों के लिए अधिनियम में नवीन अध्याय 4-ए जोड़कर उसमें विशेष प्रावधान किये गए ।

(ii) वर्ष 1989 तथा 1996 में भारत सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, के अंतर्गत क्रमशः निम्नलिखित दो नियम अधिसूचित किए :-

(क) परिसंकटमय रसायनों का विनिर्माण, भंडारण और आयात नियम, 1989,

तथा

(ख) रासायनिक दुर्घटनाएं (आपात योजना, तैयारी और अनुक्रिया) नियम,1996

उक्त दोनों नियमों में "अति खतरनाक कारखानों" / "Major Accident Hazard (MAH) Installations" को परिभाषित किया गया ।

(iii) उक्त (क) में उल्लिखित नियमों में ऐसे कारखानों के बारे में मुख्यतः निम्नलिखित प्रावधान किए गए :-

SCG 534

§1§ उनके लिए ऑन साइट एवं ऑफ साइट आपात योजनाएं क्रमशः धारक §occupier§ और कलेक्टर द्वारा बनवाई जाएंगी, उन्हें अद्यतन रखा जाएगा, और कम से कम क्रमशः हर छः माह और एक वर्ष में उनका पूर्वाभ्यास किया जाएगा ।

§2§ विशिष्ट श्रेणियों के अति खतरनाक कारखानों द्वारा मुख्य कारखाना निरीक्षक को "सुरक्षा रिपोर्ट" भेजी जाएगी और वर्ष में एक बार स्वतंत्र एजेंसी से सुरक्षा ऑडिट कराकर तत्संबंधी ऑडिट रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाएगी ।

§3§ कारखाने के आसपास रहने वाले लोगों को कारखाने से जुड़े खतरों के बारे में परिपूर्ण जानकारी दी जाएगी ।

§iv§ उक्त §ख§ में उल्लिखित नियमों में, अति खतरनाक कारखानों में संभावित रासायनिक दुर्घटनाओं से निपटने के लिए केन्द्रीय, राज्य, जिला और स्थानीय स्तरों पर संकट स्थिति समूह §Crisis Groups§ गठित करने का प्रावधान किया गया और इन समूहों के कृत्य परिभाषित किए गए ।

§1§ स्थानीय संकट स्थिति समूह, जो औद्योगिक केंद्र (Industrial pocket) के स्तर पर अनुविभागीय मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित होता है, के मुख्य कृत्य स्थानीय आपात योजना बनाना, सुरक्षा के बारे में स्थानीय लोगों को शिक्षित और कर्मियों को प्रशिक्षित करना, प्रति माह बैठक करना, कम से कम छः माह में एक बार एक रासायनिक दुर्घटना का पूर्वाभ्यास करना, और दुर्घटना घटित होने की स्थिति में उसके आघात को न्यूनतम करने के लिए समस्त आवश्यक कदम उठाना हैं ।

§2§ जिला संकट स्थिति समूह, जिसके अध्यक्ष कलेक्टर होते हैं, के मुख्य कृत्य वृहद् दुर्घटनाओं के प्रबंध के लिए समस्त आवश्यक मार्गदर्शन देना, ऑन साइट आपात योजनाओं की समीक्षा करना, ऑफ साइट आपात योजना की तैयारी में सहायता करना, हर डेढ़ माह में बैठक करना, और वर्ष में कम से कम एक दुर्घटना का पूर्वाभ्यास करना हैं ।

§3§ राज्य संकट स्थिति समूह, जिसके अध्यक्ष मुख्य सचिव होते हैं, के मुख्य कृत्य वृहद् दुर्घटनाओं के प्रबंध में विशेषज्ञ मार्गदर्शन देना, जिला ऑफ साइट आपात योजनाओं की तथा जिला समूहों के कार्य की समीक्षा करना, हर तीन माह में बैठक करना आदि हैं ।

SCG 535

(v) वर्तमान में प्रदेश के 22 जिलों में अति खतरनाक (MAH) कारखाने स्थापित हैं, जिनकी कुल संख्या 75 है । केन्द्रीय आवास एवं पर्यावरण मंत्रालय ने वर्ष 1997 में ऑफ साईट आपात योजनाओं के संबंध में एक मार्ग दर्शिका प्रसारित की थी । प्रदेश के उक्त 22 जिलों की ऑफ साइट आपात योजनाओं का उक्त मार्ग दर्शिका के अनुरूप पुनरीक्षण का कार्य किया गया है ।

3/ प्रमुख सचिव, श्रम, द्वारा बैठक की पृष्ठभूमि पर उपर्युक्तानुसार प्रकाश डाले जाने के बाद, बैठक के लिए प्रसारित एजेंडा टीप में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार चर्चा हुई और निर्णय लिए गए :-

विषय क्र. 1 तृतीय बैठक दिनांक 10.9.1999 के कार्रवाई विवरण की पुष्टि

राज्य संकट स्थिति की गत (तृतीय) बैठक दिनांक 10.9.1999 का कार्रवाई विवरण दिनांक 24.9.1999 को सर्व संबंधितों को प्रेषित किया गया था । इस पर किसी सदस्य से संशोधन संबंधी सुझाव अथवा अन्य टिप्पणी प्राप्त न होने के कारण, कार्रवाई विवरण की पुष्टि की गई ।

विषय क्र. 2 गत बैठक के क्रम में की गई कार्रवाई की समीक्षा

तृतीय बैठक दिनांक 10.9.99 में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जिस पर चर्चा की गई ।

2.1 जिला संकट स्थिति समूहों की बैठक

जिला संकट स्थिति समूह की बैठकें 45 दिन में एक बार आयोजित होना अपेक्षित है । प्रमुख सचिव, श्रम, ने प्रतिवेदित किया कि अति खतरनाक कारखानों वाले 22 जिलों में से केवल पांच (धार, उज्जैन, छिंदवाड़ा, कटनी और मंडला) में जिला संकट स्थिति समूह की बैठक चालू कैलेंडर वर्ष 2001 में आयोजित हुई है । तीन जिलों (भोपाल, रतलाम और सीधी) में पिछली बैठक वर्ष 2000 में, नौ जिलों (रायसेन, होशंगाबाद, विदिशा, भिण्ड, इंदौर, शाजापुर, देवास, सीहोर तथा पन्ना) में वर्ष 1999 में, चार जिलों (बैतूल, ग्वालियर, जबलपुर और शहडोल) में वर्ष 1998 में, तथा एक जिले (गुना) में वर्ष 1997 में संपन्न हुई थी । प्रमुख सचिव ने बताया कि औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संचालनालय के मैदानी अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि भविष्य में कलेक्टरों के साथ सतत संपर्क कर जिला समूह की बैठकों का विहित अंतराल से आयोजन सुनिश्चित करें ।

मुख्य सचिव ने जानना चाहा कि जिला समूहों की बैठकों का अनुश्रवण किस

SCG 536

प्रकार किया जाता है । उन्हें अवगत कराया गया कि यह कार्य श्रमायुक्त के अधीन कार्यरत औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संचालनालय द्वारा किया जाता है ।

राज्य समूह ने अधिकांश जिलों में जिला समूहों की बैठकें नियमित रूप से न होने पर चिंता व्यक्त की और भविष्य में नियमित आयोजन सुनिश्चित किए जाने की अपेक्षा की ।

यह भी निर्णय लिया गया कि जिला-समूहों की बैठकों के आयोजन संबंधी जिले-वार जानकारी विभागीय वेबसाइट पर भी प्रदर्शित की जाए ।

2.2 **अति खतरनाक कारखाने वाले जिलों के लिए ऑफ साईट आपात योजनाओं की तैयारी तथा उनका पूर्वाभ्यास**

प्रभारी संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, ने बताया कि अति खतरनाक कारखानों से युक्त प्रदेश के 22 जिलों में से 20 जिलों की ऑफ साईट आपात योजनाएं, केन्द्रीय आवास एवं पर्यावरण मंत्रालय से प्राप्त मार्ग-दर्शिका के अनुसार पुनरीक्षित की जा चुकी हैं । कार्यकारी संचालक, आपदा प्रबंध संस्थान, ने बताया कि संस्थान द्वारा भोपाल जिले की ऑफ साईट आपात योजना तैयार कर ली गई है और 3 दिसंबर को विमोचित कराई जाएगी । प्रभारी संचालक ने बताया कि शेष एक जिले (शाजापुर) की ऑफ साईट आपात योजना की तैयारी का कार्य अंतिम चरण में है ।

प्रमुख सचिव, ने बताया कि जिला ऑफ साइट आपात योजना का पूर्वाभ्यास वर्ष में कम से कम एक बार करने के प्रावधान का पालन प्रायः नहीं हो रहा है । निर्णय लिया गया कि भविष्य में इन आपात योजनाओं का अभ्यास वर्ष में एक बार अवश्य कराया जाए और इस हेतु जिलाध्यक्षों को आवश्यक निर्देश प्रसारित किए जाएं । साथ ही इन आपात योजनाओं और उनके पूर्वाभ्यास संबंधी जानकारी भी वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाए ।

2.3 **अति खतरनाक कारखानों के लिए ऑन साइट आपात योजनाओं की तैयारी तथा उनका पूर्वाभ्यास**

नोट किया गया कि प्रदेश में स्थापित 75 अति खतरनाक (MAH) कारखानों में से 65 कारखानों की ऑन-साइट आपात योजनाओं को अंतिम रूप दिया जा चुका है जबकि शेष के संबंध में कार्रवाई जारी है । निर्णय लिया गया कि, यदि इन शेष 10 कारखानों के प्रबंधन की ओर से विलंब के कारण इन कारखानों की ऑन-साइट योजनाओं को अंतिम रूप दिए जाने में कठिनाई उत्पन्न होती है तो प्रबंधन के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाए । ऑन साइट योजनाओं का छः माह में एक बार पूर्वाभ्यास सुनिश्चित किया जाए । साथ ही इन कारखानों की

SCG 537

ऑन-साइट आपात योजनाओं एवं उनसे संबंधित जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाए ।

बैठक में जानकारी दी गई कि कारखाना अधिनियम, 1948, की धारा 2 (सी बी), सहपठित उसकी अनुसूची 1, के अनुसार खतरनाक प्रक्रिया वाले कारखानों की 24 पहचान की गई है । प्रदेश में ऐसे 560 कारखाने स्थापित हैं । इस अधिनियम की धारा 41-बी के अंतर्गत इन कारखानों द्वारा भी ऑन-साइट आपात योजनाएं बनाई गई हैं । इनमें से 454 कारखानों की आपात योजनाओं को अंतिम रूप दिया जा चुका है । शेष कारखानों के संबंध में कार्रवाई प्रगति पर है ।

2.4 **खतरनाक कारखानों के समीप बस्तियों को नियंत्रित करना**

गत बैठक में निर्णय लिया गया था कि राजस्व विभाग से कलेक्टरों को निर्देश प्रसारित किए जाएं कि कृषि भूमि के आवासीय या संसक्त (allied) प्रयोजनों के लिए व्यपवर्तन की अनुमति देने के पूर्व यह अवश्य देखा जाए कि आसपास खतरनाक औद्योगिक इकाइयां आदि तो नहीं हैं । उक्त निर्णय के क्रम में हुई कार्रवाई की ठोस जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा सकी । निर्णय लिया गया कि आवश्यक कार्रवाई कराकर अगली बैठक में जानकारी उपलब्ध कराई जाए ।

2.5 **खतरनाक रसायनों की जानकारी संबंधी पुस्तक का प्रकाशन**

पिछली बैठक में खतरनाक उद्योगों के बारे में मूलभूत जानकारी देने वाली एक पुस्तक के प्रकाशन का निर्णय हुआ था । बताया गया कि श्रमायुक्त ने "खतरनाक रसायनों संबंधित जानकारी" नामक एक पुस्तक छापी है जिसमें चार मुख्य खतरनाक रसायनों - क्लोरीन, अमोनिया, मिथाइल पॅराथियान और एल.पी.जी.- का उपयोग करने वाले उद्योगों के बारे में सुरक्षा संबंधी दिया गया है । नोट किया गया कि यह पुस्तक आधी हिन्दी और आधी अंग्रेजी में है, जो उचित नहीं है ।

निर्णय लिया गया कि इस पुस्तक को पूर्ण रूप से हिन्दी भाषा में तैयार कर उसकी 1000 प्रतियां पुनः छपाई जावें और उसका समुचित वितरण किया जाए । उसकी विषय वस्तु वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई जाए ।

SCG 538

विषय क्र. 3 **विशिष्ट अति खतरनाक कारखानों का सुरक्षा ऑडिट**

बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश के 75 अति खतरनाक कारखानों में से 17 ऐसे हैं जिनका सुरक्षा ऑडिट कराया जाना, "परिसंकटमय रसायनों का विनिर्माण, भंडारण एवं आयात नियम, 1989," के नियम 10 के अनुसार आवश्यक है । इनमें से 12 कारखानों का सुरक्षा ऑडिट कराया जा चुका है । निर्णय लिया गया कि शेष पांच कारखानों का सुरक्षा ऑडिट शीघ्रता से कराया जावे । यदि प्रबंधन की ओर से इसमें अनावश्यक विलम्ब हो तो उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जावे ।

विषय क्र. 4 **रासायनिक हथियारों के प्रयोग की संभावनाओं के परिप्रेक्ष्य में अपेक्षित कार्रवाई**

प्रमुख सचिव, श्रम, ने बताया कि रासायनिक दुर्घटनाएं (आपात योजना, तैयारी और अनुक्रिया) नियम, 1996, के नियम 7 के अनुसार राज्य संकट स्थिति समूह वृहद् रासायनिक दुर्घटनाओं के संबंध में कार्रवाई के लिए गठित है, और इन नियमों के नियम-2(क) में दी गई परिभाषा के अनुसार रासायनिक दुर्घटना से तात्पर्य खतरनाक रसायनों के औद्योगिक प्रयोग, परिवहन या प्राकृतिक घटनाओं से जुड़ी आकस्मिक दुर्घटनाओं से है, युद्ध या रेडियो धर्मिता के कारण दुर्घटना से नहीं । अतः शुद्ध तकनीकी दृष्टि से रासायनिक संग्राम (Chemical Warfare) का विषय इस समूह के विचार क्षेत्र की परिधि में नहीं आता// इस विषय पर विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि आपदा प्रबंध संस्थान के कार्यकारी संचालक और संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, आवश्यक विचार-विमर्श कर समूह की अगली बैठक में निम्नलिखित बिंदुओं पर एक टीप प्रस्तुत करें :-

(1) किस प्रकार के रासायनिक हथियारों का उपयोग संभव है, और उनसे बचाव के लिए किस प्रकार की तैयारी और कार्रवाई की जानी चाहिए ।

(2) आतंकवादी और तोड़-फोड़ (Sabotage) की घटनाओं की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में कार्यरत अति खतरनाक (MAH) कारखानों के संदर्भ में सुरक्षा के कौन से विशेष उपाय किए जाने चाहिए ।

SCG 539

विषय क्र॰ 5 : अन्य विषय

5·1 कार्यकारी संचालक, आपदा प्रबंध संस्थान, ने भोपाल, पीथमपुर व मालनपुर के लिए तैयार की गई ऑफ-साईट आपात योजनाओं पर संक्षेप में प्रकाश डाला, और बताया कि इन कारखानों के आसपास विकसित कतिपय रहवासी क्षेत्रों की पुनर्बसाहट आवश्यक है । साथ ही, भोपाल स्थित आइ॰ओ॰सी॰ बॉटलिंग प्लांट के पास प्रस्तावित औद्योगिक केन्द्र विकसित नहीं किया जाना चाहिए ।

प्रमुख सचिव, श्रम, ने कार्यकारी संचालक से अनुरोध किया कि इन आपात योजनाओं से उद्भूत होने वाले कार्य बिंदुओं (action points) के बारे में वे संबंधित विभागों/प्राधिकारियों को, यथासंभव औपचारिक पत्र प्रेषित करें और अनुगामी कार्रवाई भी करें ताकि ये कार्य बिंदु केवल आपात योजनाओं के दस्तावेजों में कैद होकर न रह जाएं ।

5·2 कार्यकारी संचालक, आपदा प्रबंध संस्थान, ने कहा कि पीथमपुर स्थित इंदौर वायर्स नामक उद्योग के लाइसेंस की तुरंत समीक्षा होनी चाहिए क्योंकि उसमें आग लगने से स्थानीय फायर ब्रिगेड और थाने दोनों को खतरा है ।

संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, से इस संबंध में तुरंत आवश्यक कार्रवाई करने की अपेक्षा की गई ।

5·3 निर्णय लिया गया कि भोपाल गैस त्रासदी की 17 वीं बरसी 3 दिसंबर, 2001, को प्रत्येक जिले में औद्योगिक स्वास्थ्य-सुरक्षा संबंधी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर मनायी जावे । सदस्यों को अवगत कराया गया कि बड़े व मध्यम श्रेणी के कारखानों में 3 दिसंबर को स्वास्थ्य, सुरक्षा से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं । इस वर्ष के लिए भी विभागीय अधिकारियों तथा कलेक्टरों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं ।

5·4 प्रमुख सचिव, श्रम, के निम्नलिखित सुझाव अनुमोदित किए गए :-

(क) राज्य समूह की भावी बैठकों में महानिदेशक, कारखाना सलाह सेवा एवं केन्द्रीय श्रम संस्थान, भारत सरकार, मुंबई, से एक विशेषज्ञ को आमंत्रित किया जाए ।

(ख) अति खतरनाक कारखानों वाले जिलों के जिला संकट स्थिति समूहों की बैठकों में भाग लेने के लिए राज्य संकट स्थिति समूह की ओर से एक-एक विशेषज्ञ मनोनीत किया जाए जो औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संचालनालय, आपदा प्रबंध संस्थान और अन्य विशेषज्ञ संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारी हों । संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, संबंधित संस्थाओं से परामर्श कर आगामी बैठक में जिले-वार मनोनयन हेतु प्रस्ताव दें ।

5.5 श्री वी.के.पवार, पुलिस महानिरीक्षक, अग्निशमन, ने बताया कि इंदौर, पीथमपुर, मालनपुर व भोपाल में पुलिस फायर ब्रिगेड स्थापित हैं तथा मण्डीदीप व देवास में प्रस्तावित हैं। अन्य स्थानों पर भी पुलिस फायर ब्रिगेड की स्थापना की आवश्यकता है।

मुख्य सचिव ने वांछा की कि अगली बैठक में पुलिस अग्निशमन सेवाओं के बारे में महानिरीक्षक की ओर से एक परिपूर्ण एजेंडा टीप प्रस्तुत की जाए, ताकि सम्यक् विचार-विमर्श हो सके।

5.6 प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, ने सुझाव दिया कि :-

(i) विद्यमान औद्योगिक केंद्रों में खतरनाक उद्योगों के आघात क्षेत्रों (impact areas) में बस चुकी बस्तियों को अन्यत्र सुरक्षित क्षेत्रों में बसाया जाना चाहिए, और

(ii) नए विकसित होने वाले औद्योगिक केन्द्रों में श्रमिकों के आवास के लिए सुरक्षित क्षेत्रों का सावधानीपूर्वक चयन कर आरक्षित किया जाना चाहिए।

ये सुझाव उचित पाए गए और आवास एवं पर्यावरण विभाग से उन पर उपयुक्त कार्रवाई करने की अपेक्षा की गई।

6. अंत में प्रमुख सचिव, श्रम, द्वारा अध्यक्ष तथा सभी सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक संपन्न हुई।

परिशिष्ट SCG 668
541

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संपन्न राज्य संकट स्थिति समूह की बैठक दिनांक 27.11.01 में उपस्थित सदस्यों आदि की सूची

सदस्य

(1) श्री सत्यानंद मिश्र, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

(2) श्री के.एम. आचार्य, प्रमुख सचिव, श्रम

(3) श्री भागीरथ प्रसाद, सचिव, परिवहन

(4) श्री पी.डी.मीना, आयुक्त एवं पदेन सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण वि.

(5) श्री ए.पी. श्रीवास्तव, कार्यपालन निदेशक, आपदा प्रबंध संस्थान, एवं पदेन सचिव, आवास एवं पर्या. विभाग.

(6) श्री महेन्द्र कुमार चौधरी, प्रेसीडेन्ट, डायमंड सीमेन्ट, दमोह

(7) श्री वी.के.पंवार, महानिरीक्षक, पुलिस अग्निशमन सेवाएं, इंदौर

(8) श्री एन.के.दुबे, प्रभारी संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इंदौर

सदस्यों के प्रतिनिधि

(1) श्री ए.के.सिंह, सचिव, म.प्र.प्रदूषण निवारण मंडल (मंडल के अध्यक्ष की ओर से)

(2) श्री अनिल कुमार, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय (पुलिस महानिदेशक की ओर से)

(3) डॉ. एस.ए.पिल्ले, मुख्य सुरक्षा एवं पर्यावरण अधिकारी, बी.एच.ई.एल., भोपाल (कार्यपालन निदेशक, बी.एच.ई.एल., की ओर से)

(4) श्री मनोज श्रीवास्तव, प्लांट मेनेजर, इंडियन ऑइल कार्पोरेशन, बॉटलिंग प्लांट, भोपाल (प्लांट के महाप्रबंधक की ओर से)

विशेष आमंत्रित

(1) श्री जे.के.शर्मा, श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश, इंदौर ।